बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

का0आ0सं0– AW-367/10/2025-SEC_8B-REG -...171.../– श्री नीरज कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सम्प्रति अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय मुंगेर द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदस्थापन अवधि में स्थल जाँच में बरती गयी अनियमितता एवं क्रेता को लाभ पहुँचाने के कारण कुल 1057364 (दस लाख सनतावन हजार तीन सौ चौसठ रूपया) का सरकारी राजस्व की क्षति का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। श्री कुमार का यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाया गया।

2. उक्त के संदर्भ में आरोपी कर्मी श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–1276 दिनांक–13.03.2025 द्वारा उनसे जिला निबंधन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदस्थापन अवधि में की गयी लापरवाही एवं अनियमितता के संदर्भ में जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गयी।
3. उक्त के अनुपालन में आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जो प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की वृहत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0–5379 दिनांक–16.09.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।
4. उक्त के अनुपालन में संचालन पदाधिकारी–सह–उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें अंकित किया गया कि आरोपी कर्मी द्वारा राजस्व क्षति का मामला उजागर होने के उपरांत नजरी नक्शा से संबंधित विभागीय पत्र का अनुपालन नहीं किये जाने से संबंधित सूचना पूर्व में जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को नहीं दिये जाने के कारण उनके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर दस्तावेज का निबंधन किया गया तथा बाद में संदर्भित दस्तावेज में राजस्व क्षति परिलक्षित हुई है। इस प्रकार आरोप पत्र में आरोपी कर्मी श्री नीरज कुमार पर लगाये गये आरोप संख्या–1 एवं 2. आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।
5. उक्त आलोक में आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–6653 दिनांक–21.11.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अंकित किया गया कि सरकारी राजस्व क्षति के लिये वे दोषी नहीं हैं अपितु पक्षकार ही दोषी हैं जिनके द्वारा गलत भुमि दिखलाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है। आरोपी कर्मी श्री कुमार अपने द्वितीय बचाव बयान में पक्षकार के साथ–साथ जिला अवर निबंधक को भी आरोपित किया है। उक्त के आधार पर उनके द्वारा आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।
6. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी श्री नीरज कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, मुंगेर द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा अपने पूर्व समर्पित स्पष्टीकरण में उन्होने अंकित किया गया है कि सरकारी राजस्व क्षति के लिये वे दोषी नहीं हैं अपितु पक्षकार ही दोषी हैं जिनके द्वारा गलत भुमि दिखलाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है परंतु उन्होने अपने द्वितीय बचाव बयान में पक्षकार के साथ–साथ जिला अवर निबंधक को भी आरोपित किया है जो उचित नहीं है। आरोपी कर्मी श्री नीरज कुमार को नियमानुसार स्थल जाँच के क्रम में उन्हे पुरी

08.01.26

(2)
(25)

तरह से संतुष्ट होकर नियमानुसार जाँच के उपरांत ही स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना था परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इस प्रकार उनके द्वारा सरकारी कार्यो व दायित्वो के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही बरतने के कारण सरकार को कुल 1057364 (दस लाख सनतावन हजार तीन सौ चौसठ रूपया) मात्र का सरकारी राजस्व की क्षति हुई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी निष्कर्षित किया गया है कि आरोपी कर्मी द्वारा राजस्व क्षति का मामला उजागर होने के उपरांत नजरी नक्शा से संबंधित विभागीय पत्र का अनुपालन नहीं किये जाने से संबंधित सूचना पूर्व में जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को नहीं दिये जाने के कारण उनके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर दस्तावेज का निबंधन किया गया तथा बाद में संदर्भित दस्तावेज में राजस्व क्षति परिलक्षित हुई है।

7. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा सम्यक समीक्षोंपरांत आरोपी कर्मी के द्वारा सरकारी कार्यो व दायित्वो के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही बरतने के कारण सरकार को कुल 1057364 (दस लाख सनतावन हजार तीन सौ चौसठ रूपया) मात्र का सरकारी राजस्व की क्षति के प्रमाणित आरोपों के कारण आरोपी कर्मी श्री नीरज कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सम्प्रत्ति अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय मुंगेर के द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन संचयात्मक रूप से तीन (03) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।
8. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार आरोपी कर्मी श्री नीरज कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सम्प्रत्ति अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय मुंगेर को सरकारी कार्यो व दायित्वो के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही बरतने के कारण सरकार को कुल 1057364 (दस लाख सनतावन हजार तीन सौ चौसठ रूपया) मात्र का सरकारी राजस्व की क्षति के प्रमाणित आरोपों के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन संचयात्मक रूप से तीन (03) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AW-367/10/2025-SEC_8B-REG - 171 /– पटना, दिनांक– 08.01.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, मुंगेर/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/जिला अवर निबंधक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला अवर निबंधक, मुंगेर/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री नीरज कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, मोतिहारी सम्प्रत्ति अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

08.01.26